

10.1.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील-जागी हाजिर। मूल नद में कार्यवाही  
पक्षकारान में आगसी राजीनामा हो जाने व विणदित  
आराजी का विणदितमात होकर खारिज कर दिखाया है।  
अतः जा.पत्र चलावे का औचित्य नहीं रहता। प्रकरण में शही  
स्तर पर कार्यवाही खारिज की जाती है। मिनल फैसल शुभकर  
होकर नवर से कम की जाकर वरिखिल पक्षर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सरवाड़ जिला-अजमेर

